



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी पुत्र श्री धरन, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35274/प्र0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी पुत्र श्री धरन, जो रूद्रपुर, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19-04-2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित कर दी तथा घर सोने व चांदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/2005 में भा०द०वि० की धारा-396 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-07, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 16.02.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.06.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 06 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1858/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी पुत्र धरन को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी (बन्दी संख्या-47411) पुत्र श्री धरन, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-736/2026/1881(1)/22-2-2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

दिनांक: 11 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी पुत्र श्री धरन, जो रुद्रपुर, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहापुर का निवासी है। डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19-04-2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित कर दी तथा घर सोने व चांदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/2005 में भा०द०वि० की धारा-396 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-07, शाहजहापुर के आदेश दिनांक 16.02.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.06.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 06 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1858/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहापुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेमपाल उर्फ प्रेमी पुत्र धरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।